न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील सं0–**11/2007** अन्तर्गत धारा 23 ए पीडीआर एक्ट

धर्मपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण शर्मा जाति ब्रहाम्ण निवासी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

स्टेट जरिये अधिशाषी अभियन्ता कृषि विपणन बोर्ड अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 21.06.2007 न्यायालय जिला कलैक्टर महोदय हनुमानगढ़
प्र0सं. 41/2003 अनवानी स्टेट बनाम धर्मपाल

उपस्थित :–
श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
श्री राजेन्द्र भुंवाल अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–27.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि एक कार्यवाही हेतु तारीख 27.07.2001 को रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के विरूद्व पीडीआर एक्ट के तहत 74076/–रू0 हेतु मैं लक्ष्मी कन्स्ट्रशन कम्पनी गोलूवाला का कोई बकाया बताकर कार्यवाही प्रारम्भ की जिस पर जिला कलैक्टर द्वारा कुर्की आरम्भ कर दी गई तब अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी जवाबदेही व सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया जो खारिज कर दिया जिसकी अपील हाजा न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा तारीख 24.01.2002 को अपील रिमाण्ड कर सुनवाई का अवसर देकर आदेश दिया जिस पर जिला कलैक्टर द्वारा मामला की सुनवाई करते हुए पुनः मामला रेस्पो0 को सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया। रेस्पो0 द्वारा पुनः रिकवरी का आदेश बहाल रखते हुए मामला रिकवरी प्रमाण पत्र बनाकर जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ को प्रेषित कर दिया जिसका नोटिस सम्यक रूप से अपीलांट को तारीख 02.12.2005 को प्राप्त हुआ। जिसके अन्दर मियाद अपीलांट ने धारा 4 के तहत आये रिकवरी प्रमाण पत्र के अनुसरण मे धारा 6 का नोटिस जारी किया तब अपीलांट ने जिला कलैक्टर महोदय हनुमानगढ़ के अपने एतराज व जवाब नोटिस पेश किया। अपीलांट ने कथन किया कि वसूली की मांग विधि विरूद्व है कोई रकम अपीलांट की तरफ डयू व बकाया नही रहती। धारा 4 का मतालबा प्रपत्र विधि अनुसार नही है। रेस्पो0 ने सीधे ही वसूली का प्रमाण पत्र जारी किया है जो बिना अपना निर्णय दिये व कानूनी स्थिति को

समझे बिना मतालबा प्रपत्र जारी किया है। अपीलांट द्वारा अनुबन्ध का खण्डन नही किया गया है तथा रेस्पो0 द्वारा रिस्क एण्ड कोस्ट पर कोई कार्य नही करवाया गया है तथा जो कार्य अनुबन्ध के अधीन मैं लक्ष्मी कन्स्ट्रशन कम्पनी को दिये गये थे वह तमाम कार्य अनुबन्ध कर्ता द्वारा वापिस ले लिये गये थे तो किसी प्रकार से अनुबन्ध का खण्डन होना व नुकसान का मामला नही बनता। कन्स्ट्रशन कम्पनी की राशि रेस्पो0 की तरफ जमा शुदा बकाया पड़ी है मामला मे पीडीआर एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही नही की गई है। जिसका जवाब रेस्पो0 द्वारा विचारण न्यायालय मे दिया गया जिसमे राशि की मांग सही बताई व निविदा अनुबन्ध अनुरूप कार्य ना करना बताया। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए वसूली यथावत रखी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया उक्त मामला के अन्तर्गत प्रपत्र नं. 2 अन्तर्गत धारा 4 सरकारी मतालबा हेतु जो प्रस्तुत किया गया है वह कानूनन मे दी गई प्रक्रिया के अनुसार नही है। इस प्रपत्र से पूर्व किसी प्रकार का कोई निर्णय अधिशाषी अभियन्ता द्वारा नही दिया गया इसलिए सीधा यह प्रपत्र वसूली हेतु पेश करने का अधिकार अधिशाषी अभियन्ता को नही है। कोई राशि 74076/—रू0 की अपीलांट व लक्ष्मी कन्सट्रशन कम्पनी की तरफ जरिये धर्मपाल बकाया नही है। वास्तविकता इस प्रकार से है कि लक्ष्मी कन्सट्रशन कम्पनी को जरिये आदेश क्रमांक 8454—57 तारीख 22.03.97 को पत्र जारी करते हुए यह आदेश दिया गया था कि जो काम अपीलांट की कन्सट्रशन कम्पनी को दिया गया था उसमे 50 पुली बनाने का आदेश था जिसमे 32 पुली बना दी गई और बकाया पुलियों का कार्य करने का सचिव महोदय कृषि उपज मण्डी समिति के पत्र क्रमांक सीपीएल 1 दिनांक 17.03.97 के जरिये पुलियों का कार्य वापिस ले लिया गया था इसलिये बकाया कार्य नही करने का पत्र तारीख 22.03.97 को जारी किया जा चुका है। दूसरा कार्य जो क्रमांक 7170—79 दिनांक 01.02.90 के जरिये दिया गया था, वह कार्य भी सचिव मण्डी समिति अनूपगढ़ द्वारा जरिये क्रमांक एसपीएल 2 दिनांक 17.03.97 को वापिस लेने का आदेश दिया। जिस पर आपके द्वारा पत्र क्रमांक 8458—61 दिनांक 22.03.97 जारी करते हुए 50 पुलियों मे 25 पुलियों का कार्य वापिस ले लिया गया था। तीसरा कार्य पूर्ण कर दिया गया था। जो भी कार्य जिस अनुबन्ध के तहत दिया गया था, उस अनुबन्ध की धारा 32 के तहत कार्य वापिस ले लिये जाने के कारण अपीलांट कन्सट्रशन कम्पनी द्वारा कोई अनुबन्ध नही तोड़ा गया और कार्य बाद मे रिस्क एण्ड कोस्ट पर करवाये भी नही गये है। इसलिये कोई मामला रिस्क एण्ड कोस्ट का नही बनता। बल्कि कन्सट्रशन कम्पनी की रकम व धरोहर

Web Copy - Not Official

राशि आज भी जमा शुदा है। धारा 4 पीडीआर एक्ट के तहत प्रपत्र 2 मे जारी मे जारी वसूली प्रमाण पत्र अपीलांट के नाम से है तथा निर्णय भी अपीलांट के नाम से दिया गया है उक्त प्रपत्र 2 के प्रमाण पत्र मे मैं लक्ष्मी कन्सट्रशन कम्पनी का नाम बाकीदार के रूप मे नही है और धर्मपाल की तरफ व्यक्तिरूप से कोई राशि बकाया नही है इसलिये पीडीआर एक्ट के तहत विधिवत रूप से कोई कार्यवाही नही की गई है जिस पर विचारण न्यायालय ने कोई ध्यान नही दिया। किसी भी प्रपत्र द्वारा कार्य हेतु जारी अनुबन्ध को निरस्त नही किया गया तथा कार्य अवधि लगातार बढ़ती रही, तत्पश्चात रेस्पो0 द्वारा कार्य की आवश्यकता ना होने के कारण वापिस ले लिये जाने के कारण पेश शेष कार्य करने की आवश्यकता नही थी और धारा 32 अनुबन्ध के अनुसार कार्य रेस्पो0 द्वारा वापिस लिया गया था तो उसे अनुबन्ध का खण्डन नही माना जा सकता। जिसे विचारण न्यायालय ने नही समझा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 21.06.2007 विचारण न्यायालय का निरस्त किया जावे व वसूली प्रमाण पत्र धारा 4 व नोटिस अन्तर्गत धारा 6 भी निरस्त किया जावें।

4. अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट का पूर्ण कार्य को वापिस नही लिया गया था बल्कि उसके द्वारा जो शेष कार्य रह गया था उसको ही वापिस लिया गया। कार्य के संबंध मे विवरण अधिशाषी अभियन्ता के पत्र क्रमांक 1156 दिनांक 14.08.2003 को प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमे यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि ''निर्माण कार्य 1X2 स्पॉन कार्य कल्वर्ट 50 नग ''अ'' कृषि उपज मण्डी समिति अनूपगढ़ का कार्य सवेंदक द्वारा 50 पुलियों के विरूद्ध 32 पुलियों का निर्माण किये जाने के पश्चात शेष रही पुलियों को सचिव मण्डी समिति कृषि उपज मण्डी समिति अनूपगढ़ के पत्रांक स्पेशल–1 दिनांक 17.03.97 के द्वारा अनुबन्ध की धारा 32 के अन्तर्गत वापिस लिये गये के अनुसार फाईनल किया गया। कार्य को मण्डी समिति द्वारा अनुबन्ध की धारा 32 मे अपखण्डित किये जाने से पूर्व सवेंदक द्वारा कार्य को प्रारम्भ कर नियमित रूप से प्रगति नही अपनाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के नोटिस संख्या 1635–62 दिनांक 22.07.93 के द्वारा सवेंदक को अनुबन्ध की धारा 3 ''अ'' के अन्तर्गत रू0 29134/– से दण्डित किया जाकर सभी जमा कराने हेतु सूचित किया गया था। इस कार्य मे सवेंदक से कार्यालय द्वारा आवंटित की गई सीमेंट का उपयोग नही करने के कारण रू0 6712/– की भी वसूली की जानी थी। इस प्रकार इस कार्य के मद मे कुल वसूल रू0 34846/– किये जाने हेतु पीडीआर एक्ट मे प्रकरण श्रीमान जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ मे दर्ज कराया गया।इसी प्रकार निर्माण कार्य 1X2 आर्च टाईप कल्वर्ट 50 नग का कार्य भी अपीलांट/सवेंदक को आवंटित किया गया। जिसमे से सवेदक द्वारा 25 पुलियों का ही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्माण किया गया शेष रही पुलियों को सचिव कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा धारा 32 मे अपखण्डित किया जाने के फलस्वरूप कार्य के अपूर्ण अन्तिम बिल को पारित किये जाने की कार्यवाही की गई, परन्तु सवेंदक द्वारा कार्य को मण्डी समिति द्वारा अपखण्डित किये जाने से पूर्व अनुबन्ध की धारा 3 ए के तहत रू0 29134/– अनुबन्ध मे वसूली राशि प्रस्तावित कर दण्डित किया गया। जिसका वसूली की कार्यवाही हेतु वृत्त के अधीनस्थ खण्ड श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, सूरतगढ़ से उनके कार्यालय मे राशि जमा हो तो पत्रांक 2172–75 दिनांक 27.08.97 के द्वारा मांग की गई जिसकी वसूली वर्णित खण्डो से नही गई। इसी कार्य के मद मे सवेंदक को कार्य हेतु सीमेंट आवंटित किया गया जिसका उपयोग सवेंदक द्वारा कार्य मे नही करने के कारण रू0 9096/– की वसूली प्रस्तावित की गई। इस प्रकार इस कार्य मे सवेंदक के विरूद्ध कुल वसूली रू0 38230 बनती थी। सवेदंक द्वारा वसूली राशि जमा नही कराने के फलस्वरूप क्रम 1 मे वर्णित अनुसार वसूली की कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ के न्यायालय मे प्रकरण पीडीआर एक्ट के तहत दर्ज करवाया गया। क्रम संख्या 1 व 2 मे वर्णित अनुबन्ध की धारा 3 ''ए'' के तहत एवं विभाग की सीमेंट की वसूली सहित कुल वसूली राशि रू. 74076 की वूसली सवेंदक अपीलांट से पीडीआर एक्ट के तहत की जानी है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण मे विधिवत रूप कार्यवाही करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट का तर्क है कि ''उक्त मामला के अन्तर्गत प्रपत्र नं. 2 अन्तर्गत धारा 4 सरकारी मतालबा हेतु जो प्रस्तुत किया गया है वह कानूनन मे दी गई प्रक्रिया के अनुसार नही है। इस प्रपत्र से पूर्व किसी प्रकार का कोई निर्णय अधिशाषी अभियन्ता द्वारा नही दिया गया इसलिए सीधा यह प्रपत्र वसूली हेतु पेश करने का अधिकार अधिशाषी अभियन्ता को नही है। कोई राशि 74076/–रू0 की अपीलांट व लक्ष्मी कन्सट्रशन कम्पनी की तरफ जरिये धर्मपाल बकाया नही है। वास्तविकता इस प्रकार से है कि लक्ष्मी कन्सट्रशन कम्पनी को जरिये आदेश क्रमांक 8454–57 तारीख 22.03.97 को पत्र जारी करते हुए यह आदेश दिया गया था कि जो काम अपीलांट की कन्सट्रशन कम्पनी को दिया गया था उसमे 50 पुली बनाने का आदेश था जिसमे 32 पुली बना दी गई और बकाया पुलियों का कार्य करने का सचिव महोदय कृषि उपज मण्डी समिति के पत्र क्रमांक सीपीएल 1 दिनांक 17.03.97 के जरिये पुलियों का कार्य वापिस ले लिया गया था इसलिये बकाया कार्य नही करने का पत्र तारीख 22.03.97 को जारी किया जा चुका है। दूसरा कार्य जो क्रमांक 7170–79 दिनांक 01.02.90 के जरिये दिया गया था, वह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्य भी सचिव मण्डी समिति अनूपगढ़ द्वारा जरिये क्रमांक एसपीएल 2 दिनांक 17.03.97 को वापिस लेने का आदेश दिया। जिस पर आपके द्वारा पत्र क्रमांक 8458–61 दिनांक 22.03.97 जारी करते हुए 50 पुलियों मे 25 पुलियों का कार्य वापिस ले लिया गया था। तीसरा कार्य पूर्ण कर दिया गया था। जो भी कार्य जिस अनुबन्ध के तहत दिया गया था, उस अनुबन्ध की धारा 32 के तहत कार्य वापिस ले लिये जाने के कारण अपीलांट कन्सट्रशन कम्पनी द्वारा कोई अनुबन्ध नही तोड़ा गया और कार्य बाद मे रिस्क एण्ड कोस्ट पर करवाये भी नही गये है। इसलिये कोई मामला रिस्क एण्ड कोस्ट का नही बनता। बल्कि कन्सट्रशन कम्पनी की रकम व धरोहर राशि आज भी जमा शुदा है।''

6. रेस्पो0 के तर्क एवं प्रस्तुत दस्तोवजात के अनुसार अपीलांट का पूर्ण कार्य को वापिस नही लिया गया था बल्कि उसके द्वारा जो शेष कार्य रह गया था उसको ही वापिस लिया गया। कार्य के संबंध मे विवरण अधिशाषी अभियन्ता के पत्र क्रमांक 1156 दिनांक 14.08.2003 को प्रस्तुत किया गया जिसमे यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि ''निर्माण कार्य 1X2 स्पॉन कार्य कल्वर्ट 50 नग ''अ'' कृषि उपज मण्डी समिति अनूपगढ़ का कार्य सवेंदक द्वारा 50 पुलियों के विरूद्ध 32 पुलियों का निर्माण किये जाने के पश्चात शेष रही पुलियों को सचिव मण्डी समिति कृषि उपज मण्डी समिति अनूपगढ़ के पत्रांक स्पेशल–1 दिनांक 17.03.97 के द्वारा अनुबन्ध की धारा 32 के अन्तर्गत वापिस लिये गये के अनुसार फाईनल किया गया। कार्य को मण्डी समिति द्वारा अनुबन्ध की धारा 32 मे अपखण्डित किये जाने से पूर्व सवेंदक द्वारा कार्य को प्रारम्भ कर नियमित रूप से प्रगति नही अपनाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के नोटिस संख्या 1635–62 दिनांक 22.07.93 के द्वारा सवेंदक को अनुबन्ध की धारा 3 ''अ'' के अन्तर्गत रू0 29134/– से दण्डित किया जाकर सभी जमा कराने हेतु सूचित किया गया था। इस कार्य मे सवेंदक से कार्यालय द्वारा आवंटित की गई सीमेंट का उपयोग नही करने के कारण रू0 6712/– की भी वसूली की जानी थी। इस प्रकार इस कार्य के मद मे कुल वसूल रू0 34846/– किये जाने हेतु पीडीआर एक्ट मे प्रकरण श्रीमान जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ मे दर्ज कराया गया।इसी प्रकार निर्माण कार्य 1X2 आर्च टाईप कल्वर्ट 50 नग का कार्य भी अपीलांट/सवेंदक को आवंटित किया गया। जिसमे से सवेदक द्वारा 25 पुलियों का ही निर्माण किया गया शेष रही पुलियों को सचिव कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा धारा 32 मे अपखण्डित किया जाने के फलस्वरूप कार्य के अपूर्ण अन्तिम बिल को पारित किये जाने की कार्यवाही की गई, परन्तु सवेंदक द्वारा कार्य को मण्डी समिति द्वारा अपखण्डित किये जाने से पूर्व अनुबन्ध की धारा 3 ए के तहत रू0 29134/– अनुबन्ध मे वसूली राशि प्रस्तावित कर दण्डित किया गया। जिसका वसूली की कार्यवाही हेतु वृत्त के अधीनस्थ खण्ड श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, सूरतगढ़ से उनके कार्यालय मे राशि जमा हो तो पत्रांक 2172–75

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 27.08.97 के द्वारा मांग की गई जिसकी वसूली वर्णित खण्डो से नही गई। इसी कार्य के मद मे सवेंदक को काग्र हेतु सीमेंट आवंटित किया गया जिसका उपयोग सवेंदक द्वारा कार्य मे नही करने के कारण रू0 9096/– की वसूली प्रस्तावित की गई। इस प्रकार इस कार्य मे सवेंदक के विरूद्ध कुल वसूली रू0 38230 बनती थी। सवेदंक द्वारा वसूली राशि जमा नही कराने के फलस्वरूप क्रम 1 मे वर्णित अनुसार वसूली की कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ के न्यायालय मे प्रकरण पीडीआर एक्ट के तहत दर्ज करवाया गया। क्रम संख्या 1 व 2 मे वर्णित अनुबन्ध की धारा 3 ''ए'' के तहत एवं विभाग की सीमेंट की वसूली सहित कुल वसूली राशि रू. 74076 की वूसली सवेंदक अपीलांट से पीडीआर एक्ट के तहत की जानी है''। इस प्रकार रेस्पो0 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पीडीआर एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसमे रेस्पो0 वसूली राशि के संबंध मे विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट द्वारा अपने तथ्यों के संबंध मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे प्रकरण अपीलांट के पक्ष मे साबित हो। अपीलांट अपनी अपील को साबित करने मे असफल रहने के कारण तथा अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि प्रकट नही होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.06.2007 यथावत रखा जाता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official